न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 06 / 2026

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
1. राजेश कुमार वडेरा पुत्र श्री शंकरलाल जाति जैन निवासी गडरा चौराहा, महावीर सर्कल, बाडमेर (मैसर्स राजेश किराणा स्टोर, गागरिया जिला बाडमेर विक्रेता एवं मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री भूरचंद जांगिड़, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 04.03.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म **मैसर्स राजेश किराणा स्टोर, गागरिया जिला बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **17.09.2025** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **खाद्य तेल (लूज)** 12 किलो लोहे के पीपे में भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 1600 ग्राम **खाद्य तेल (लूज)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2944** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **खाद्य तेल (लूज)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **खाद्य तेल (लूज)** का नमूना **Prohibited** as it **Contravenes Regulation No. 2.3.15(1)(b)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उप.। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में यह प्रकट किया कि उक्त तेल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गई है मेरी दुकान ग्रामीण ईलाके में आई हुई है जहां ग्रामीण जनता 10–20 रूपये का खुला तेल पूजा हेतु लेने आते है तथा अधिकतर गांव में व्यवहारिक दृष्टि से खुला तेल ही विक्रय होता है। इसलिए हमें अपने व्यवसाय तथा आम जनता के हितार्थ खुला तेल रखना पडता है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही गलत एवं सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **16.10.2025** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में यह प्रकट किया उक्त तेल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई गई है मेरी दुकान ग्रामीण ईलाके में आई हुई है जहां ग्रामीण जनता 10–20 रूपये का खुला तेल पूजा हेतु लेने आते है तथा अधिकतर गांव में व्यवहारिक दृष्टि से खुला तेल ही विक्रय होता है। इसलिए हमें अपने व्यवसाय तथा आम जनता के हितार्थ खुला तेल रखना पडता है। इस कारण उसके विरूद्ध प्रकरण निरस्त किया जावे। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना **Prohibited** as it **Contravenes Regulation No. 2.3.15(1)(b)** पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिक जवाब नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 8,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 04.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयक अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर